

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प सोनियाणा  
पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-117/2017 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट  
अनवान

1. शंकरलाल आत्मज मोडीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. गणेश आत्मज रामलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2. धनराज आत्मज रामलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
3. गोविन्दराम आत्मज बालु राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
4. जगदीश आत्मज मोतीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
5. सत्यनारायण आत्मज मोतीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
6. शांतिलाल आत्मज मोतीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
7. कैलाशचन्द्र आत्मज मोतीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
8. रतनलाल आत्मज मोतीलाल राव निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
9. रामेश्वर आत्मज बरदीचन्द पारीक निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
10. कैलाशचन्द्र आत्मज बरदीचन्द पारीक निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण


:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::  
निर्णय दिनांक:-11.06.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार क्षेत्र सोनियाणा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 470 पर स्थित आराजी नम्बर 2950 रकबा 0.02 है 0 भूमि व खाता संख्या 557 पर स्थित आराजी नम्बर 2951 रकबा 0.26 है 0 कुल कित्ता 02 किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित जो विपक्षी संख्या 01, 02, 05, 06, 07 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। विपक्षी संख्या 04 व 08 के अधिवक्ता उपस्थित जिन्हें पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं। विपक्षी संख्या 03, 09 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बाद बहस मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
गंगपुर जिला भीलवाडा

प्रकरण संख्या :-117/2018  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल.आर.एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम सोनियाणा पटवार क्षेत्र सोनियाणा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 470 पर स्थित आराजी नम्बर 2950 रकबा 0.02 है। भूमि व खाता संख्या 557 पर स्थित आराजी नम्बर 2951 रकबा 0.26 है। कुल किता 02 कुल रकबा 0.28 भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काशत में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्य सोनियाणा में सुनाया गया।



*Asst.*  
(राजलक्ष्मी गहलोत)  
उपस्थित अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा